FORM No. III

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 43/2024
दायर दिनांक : 26/06/2024
निर्णय दिनांक : 18/07/2024

उनवान

1. उंकार पिता हेमा रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
2. माधवलाल पिता हेमा रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
3. सोहनलाल पिता हेमा रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोवर्धन पिता पोखर रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
2. मांगीलाल पिता गोदू रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
3. शंकरसिंह पिता कालूसिंह राजपूत रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
4. जगदीश पिता दयाराम रेगर रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
5. भैरूलाल पिता रामा रेगर रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
6. भगवानपुरी पिता उंकारपुरी गोस्वामी रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
7. सोसर पत्नी जगदीश रेगर रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
8. चांदीबाई पत्नी कैलाश रेगर रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
9. लक्ष्मीबाई पत्नी प्रकाश रेगर रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
10. रतनलाल पिता जेता रेगर रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
11. गमेर पिता खुमा रेगर निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम हिंगवानिया के खाता सं 173 की आ.सं. 489 रकबा 0.43 है., आ.सं. 671 रकबा 0.01 है., आ.सं. 675 रकबा 0.48 है., किता 3 रकबा 0.92 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर [illegible] दिशाओं की [illegible] की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही प[illegible]ढी [illegible]ावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पे[illegible] करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन न[illegible] इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:29:25 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर